# समझौता ज्ञापन - (एमओयू)

## ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
## भाषा विश्वविद्यालय
## उत्तर प्रदेश – लखनऊ

## और

## उत्तर प्रदेश कुंग फू एसोसिएशन,
## उत्तर प्रदेश – लखनऊ
## के मध्य

छात्र–छात्राओं को भारतीय मूल के आत्मरक्षा खेल

**कुंग फू (ताइची और तुई शू) के प्रशिक्षण माध्यम से**

प्रादेशिक, अंतर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्तर पर

स्वास्थ्य, एकाग्रता, आत्मरक्षा कौशल एवं सांस्कृतिक विकास हेतु

वित्त अधिकारी
ख्वाजा मुईनुद्दीनचिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

# यह समझौता ज्ञापन ("एमओयू")

## 30 दिनांक, 01 माह, 2023 वर्ष को किया गया

**ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ** जिसका प्रधान कार्यालय सीतापुर हरदोई बायपास रोड लखनऊ 226013 उत्तर प्रदेश, भारत में है, जिसका प्रतिनिधित्व रजिस्ट्रार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय (जिसे आगे - **"केएमसीएलयू"** कहा जाएगा) के द्वारा किया जाता है, जिसमें, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और कार्यालय में प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और प्रथम भाग पर अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं।

**तथा**

**उत्तर प्रदेश कुंग फू एसोसिएशन** जिसका प्रधान कार्यालय K-107, संजय गांधीपुरम , **लखनऊ**, उत्तर प्रदेश, 226016, भारत में है जिसे आगे **"यूपीकेए"** कहा जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व और संचालन, महासचिव उत्तर प्रदेश कुंग फू एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और दूसरे भाग के प्रशासकों को शामिल करने के लिए मानी जाएगी।

अब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, **"केएमसीएलयू"** (पहले भागीदार) और उत्तर प्रदेश कुंगफू एसोसिएशन **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) को सामूहिक रूप से पक्षकार के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

**समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए तथा पक्षकार निम्नानुसार सहमत हुए।**

उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ * U.P. KUNG FU ASSOCIATION * Signature General Secretary Date.........

48

## I. प्रस्तावना/ पृष्ठभूमि/ उद्देश्य

"यूपीकेए" (दूसरे भागीदार) ने **भारत में कुंग फू फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय ताई ची चुआन फेडरेशन, ताइवान के साथ हाथ मिलाया है** ताकि भारत को नवीनतम तकनीकों पर कुशल (कुंग फू ताइची मार्शल आर्ट) खिलाड़ियों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाया जा सके।

यह समझौता ज्ञापन खिलाड़ियों, व्यक्तियों, छात्रों और छात्राओं को प्रशिक्षित करने और कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रतिभाशाली ताइची मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को दुनिया में अग्रणी स्थान दिलाना है।

ताइची मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी शिक्षार्थियों के लिए, विशेषत: छात्रों और छात्राओं के लिए इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वे इसे सीख कर **आज के तनाव भरे जीवन शैली और नशे/मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ सकें तथा सरलता से अपनी आत्मरक्षा भी कर सकें।**

## 2. समझौता ज्ञापन का उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य **"अनुशासित खिलाड़ी, स्वस्थ नागरिक, सशक्त भारत"** सिद्धांत के आधार पर **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) के छात्रों, छात्राओं और संकाय/कर्मचारियों के लिए **भारतीय मूल की आत्मरक्षा कला "कुंग फू" (तुई शू और ताइची) मार्शल आर्ट प्रशिक्षण/प्रतियोगिता के माध्यम से स्वास्थ्य, आध्यात्म, एकाग्रता और आत्मरक्षा कौशल और विभिन्न प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता , सांस्कृतिक आदान-प्रदान** में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है ताकि वे हमारे देश के स्वस्थ और आदर्श नागरिक के रूप में विकसित हो सकें और देश का गौरव बढ़ा सकें ।

उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ
U.P. KUNG FU ASSOCIATION
Signature
General Secretary
Date...........

**सामान्य प्रावधान**

1 यह ज्ञापन, कौशल उन्नयन/कौशल आधारित प्रशिक्षण में सहयोग के लिए सामान्य शर्तों को समाहित करेगा और पक्षकार इसे सहयोग जारी रखने के लिए एक ढांचे के रूप में उपयोग करने का इरादा रखते हैं।

2 जिसके लिए **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) तथा **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के मध्य में आपसी सहमति के आधीन सहयोग के क्षेत्रों में किसी भी संस्था में प्रस्तुत किए गए किसी भी कार्यक्रम को दोनों तरफ व्यवहार हेतु माना जाएगा । दोनों पक्ष छात्रों और छात्राओं में **"अनुशासित खिलाड़ी, स्वस्थ नागरिक, सशक्त भारत"** के संकल्प को लेकर कुंगफू (तुई शू और ताइची खेलों) के विकास प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता हेतु योगदान करेंगे और उक्त परिपेक्ष में विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से सहयोग करेंगे।

3 यह प्रशिक्षण कुंग फू तुई शू / ताई ची खेल छात्रों और छात्राओं के लिए स्वैच्छिक प्रशिक्षण /पाठ्यक्रम है जिसके लिए **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के द्वारा विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र की शुरुआत करते हुए प्रशिक्षण हेतु अनुबंध आधार पर **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) को प्रतिवर्ष विभिन्न **"प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंशकालिक तदर्थ प्रशिक्षक"** उपलब्ध कराए जाने में सहयोग करेगा।

4 **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) तथा **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के मध्य कुंग फू तुई शू / ताई ची खेलों को बढ़ावा देने और दोनों संगठनों के लाभ हेतु **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) लखनऊ स्थित परिसर में विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्राओं के लिए एक आवश्यक प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण अवसंरचना, अति आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षक कक्ष, सहित अस्थाई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कराए जाने में सहयोग करेगा तथा **आवश्यकता अनुसार आवश्यक चिकित्सा सामग्री एवं कुशल चिकित्सक** उपलब्ध कराएगा ।

उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ
U.P. KUNG FU ASSOCIATION
Signature
General Secretary
Date..........

- **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के द्वारा **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) को कुशल चयनित कुंग फू तुई शू / ताई ची खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर भी प्रदान करेगा।

- **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के द्वारा खेल और संस्कृति के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के सक्षम पदाधिकारियो को आमंत्रित कराए जाने में यथासंभव सहयोग करेगा, जिससे **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) के विद्यार्थियों को यथासंभव विदेश के विश्वविद्यालय में कुंग फू तुई शू / ताई ची खेल के माध्यम से खेल, शिक्षा और संबंधित कौशल के विकास का अवसर प्राप्त हो सके।

- **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) अपनी मुहर और हस्ताक्षर के तहत प्रतिभागियों को कुंग फू (तुई शू और ताइची) कौशल की परीक्षा के उपरांत, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले (वह चाहे तो महासंघ के आधिकारिक कौशल परीक्षा नियमों के अनुसार) प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

इस दस्तावेज़ में उल्लिखित यह समझौता ज्ञापन एक दस्तावेज़ है। हालाँकि, सहयोग के लिए दिशा-निर्देश सुझाने के लिए **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) और **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) की प्रकृति और सहयोगात्मक इरादों का वर्णन करना उचित है। इसलिए, किसी भी पक्ष की पूर्ण स्वायत्तता को कम नहीं किया जाएगा, न ही किसी दूसरे पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा, और इस समझौते में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो पार्टियों के बीच संयुक्त उद्यम या एजेंसी संबंध बनाता हो।

**कार्यान्वयन, नवीनीकरण, संशोधन की शर्तें, रद्दी करण और नोटिस**

1 समझौता ज्ञापन में शामिल न किया गया कोई अन्य मामला, जो समझौते के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है, उसे **"केएमसीएलयू"** (पहले भागीदार) और **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के बीच आपसी सहमति से शर्तों और निर्देशों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

## "केएमसीएलयूकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ

- "**केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण/प्रदर्शन के आयोजन (यदि होता है) से संबंधित समस्त प्रबंध और व्यवस्थाओं के लिए विश्वविद्यालय नियमानुसार जिम्मेदार होगा।
- संबंधित प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित छात्रों का आवेदन शुल्क, प्रतिभागिता शुल्क, आवागमन, आवास, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा, देखभाल सहित अन्य व्यक्तिगत व्यय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम प्रभावी होंगे। ।
- विश्वविद्यालय के चयनित खिलाड़ियों के प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता हेतु समस्त प्रबंध "केएमसीएलयू (पहले भागीदार) के द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जाएगा, जिसकी सूचना/प्रस्ताव देते समय (राष्ट्रीय फेडरेशन के माध्यम से) "यूपीकेए" (दूसरे भागीदार) के द्वारा "केएमसीएलयू (पहले भागीदार) को उपलब्ध कराई जाएगी।
- तदर्थ प्रशिक्षकों का चयन (यदि आवश्यक हो तो) "केएमसीएलयू (पहले भागीदार) के द्वारा किया जायेगा, जिसके मानदेय आदि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

## उत्तर प्रदेश कुंगफ एसोसिएशन "यूपीकेए" की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

- **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के द्वारा **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) के चयनित विद्यार्थियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं छात्र-छात्राओं को कुंग फू (तुई शू और ताइची) खेल का प्रशिक्षण कराए जाने हेतु कुशल प्रशिक्षक तथा प्रतियोगिता के आयोजन हेतु कुशल निर्णायक सहित सभी प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान कराए जाने में सहयोग करेगा।

उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ ★ U.P. KUNG FU ASSOCIATION ★ Signature General Secretary Date........

(५५)

- **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के द्वारा **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) को कुशल चयनित कुंग फू तुई शू / ताई ची खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर भी प्रदान करेगा।

- **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के द्वारा खेल और संस्कृति के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के सक्षम पदाधिकारियो को आमंत्रित कराए जाने में यथासंभव सहयोग करेगा, जिससे **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) के विद्यार्थियों को यथासंभव विदेश के विश्वविद्यालय में खेल के माध्यम से खेल, शिक्षा और संबंधित कौशल के विकास का अवसर प्राप्त हो सके।

- **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) अपनी मुहर और हस्ताक्षर के तहत प्रतिभागियों को कुंग फू (तुई शू और ताइची) कौशल की परीक्षा के उपरांत, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले (वह चाहे तो महासंघ के आधिकारिक कौशल परीक्षा नियमों के अनुसार) प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

इस दस्तावेज़ में उल्लिखित यह समझौता ज्ञापन एक बाध्यकारी दस्तावेज़ है। हालाँकि, सहयोग के लिए दिशा-निर्देश सुझाने के लिए **"केएमसीएलयू** (पहले भागीदार) और **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) की प्रकृति और सहयोगात्मक इरादों का वर्णन करना उचित है। इसलिए, किसी भी पक्ष की पूर्ण स्वायत्तता को कम नहीं किया जाएगा, न ही किसी दूसरे पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा, और इस समझौते में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो पार्टियों के बीच संयुक्त उद्यम या एजेंसी संबंध बनाता हो।

**कार्यान्वयन, नवीनीकरण, संशोधन की शर्तें, रद्दी करण और नोटिस**

1 समझौता ज्ञापन में शामिल न किया गया कोई अन्य मामला, जो समझौते के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है, उसे **"केएमसीएलयू"** (पहले भागीदार) और **"यूपीकेए"** (दूसरे भागीदार) के बीच आपसी सहमति से शर्तों और निर्देशों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

2 समझौता ज्ञापन में संशोधन केवल आपसी सहमति और दोनों संगठनों की लिखित सहमति (विधिवत हस्ताक्षरित) के आधार पर किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन में परिवर्धन, परिसीमन या परिवर्तन किए जाने की अनुमति सभी भागीदारों की लिखित सहमति से दी जा सकती है। ऐसे परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन से संबंधित दस्तावेज और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज इस समझौता ज्ञापन के परिशिष्ट होंगे और हमारे समझौते का हिस्सा माने जाएंगे।

3 इस समझौता ज्ञापन के परिणाम स्वरूप होने वाले किसी विशेष कार्यक्रम के आदान-प्रदान के कार्यान्वयन के विवरण पर दोनों संगठनों के बीच सम्यक बातचीत की जाएगी और निर्देशों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

4 किसी भी प्रकाशन, दस्तावेज और/या कागज पर किसी भी पक्ष के नाम, लोगो और/या आधिकारिक प्रतीक का उपयोग केवल संबंधित पक्ष की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकता है।

**5 दोनों संगठनों की लिखित समय सहमति पर 5 साल बाद इस समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया जाएगा । दोनों संगठनों को इसकी समाप्ति से कम से कम 6 माह पहले ऐसा करने के लिए अपने आशय की सूचना देकर समझौता ज्ञापन को रद्द अथवा नवीनीकरण किया जा सकता है समाप्ति के समय चल रही परियोजनाएं अप्रभावित रहेंगी।**

6 वर्तमान समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन सक्षम अधिकारियों को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि दोनों संगठनों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित ना हो।

उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ
U.P. KUNG FY ASSOCIATION
Signature
General Secretary
Date.........

2 समझौता ज्ञापन में संशोधन केवल आपसी सहमति और दोनों संगठनों की लिखित सहमति (विधिवत हस्ताक्षरित) के आधार पर किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन में परिवर्धन, परिसीमन या परिवर्तन किए जाने की अनुमति सभी भागीदारों की लिखित सहमति से दी जा सकती है। ऐसे परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन से संबंधित दस्तावेज और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज इस समझौता ज्ञापन के परिशिष्ट होंगे और हमारे समझौते का हिस्सा माने जाएंगे।

3 इस समझौता ज्ञापन के परिणाम स्वरूप होने वाले किसी विशेष कार्यक्रम के आदान-प्रदान के कार्यान्वयन के विवरण पर दोनों संगठनों के बीच सम्यक बातचीत की जाएगी और निर्देशों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

4 किसी भी प्रकाशन, दस्तावेज और/या कागज पर किसी भी पक्ष के नाम, लोगो और/या आधिकारिक प्रतीक का उपयोग केवल संबंधित पक्ष की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकता है।

**5 दोनों संगठनों की लिखित सहमति पर 2 साल बाद इस समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया जाएगा। दोनों संगठनों को इसकी समाप्ति से कम से कम 6 माह पहले ऐसा करने के लिए अपने आशय की सूचना देकर समझौता ज्ञापन को रद्द अथवा नवीनीकरण किया जा सकता है समाप्ति के समय चल रही परियोजनाएं अप्रभावित रहेंगी।**

6 वर्तमान समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन सक्षम अधिकारियों को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि दोनों संगठनों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित ना हो।

उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ
Signature General Secretary
U.P. KUNG FY ASSOCIATION

## विवाद निपटारा

- इस समझौता ज्ञापन के आवेदन या व्याख्या से उत्पन्न किसी भी विवाद का पहले दोनों पक्षों के बीच संयुक्त परामर्श के माध्यम से समाधान किया जाएगा जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय समय सीमा के भीतर मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना है।

- मध्यस्थता कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। मध्यस्थता का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

**इस समझौता ज्ञापन पर**
**दिनांक, माह, वर्ष 2025 को हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।**

**"केएमसीएलयू" के लिए और उसकी ओर से**
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय,
सीतापुर हरदोई बायपास रोड
लखनऊ 226013
उत्तर प्रदेश

वित्त अधिकारी
ख्वाजा मुईनुद्दीनचिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

**पहले भागीदार**
हस्ताक्षर और मुहर
**साजिद आजमी**
**वित्त अधिकारी**
के.एम.सी.एल.यू.

साक्ष्य - 1
(डा. नीरज शुक्ल)

**"यूपीकेए" के लिए और उसकी ओर से**
उत्तर प्रदेश कुंग फू एसोसिएशन,
K-107, संजय गांधीपुरम ,
लखनऊ, 226016,
उत्तर प्रदेश

**दूसरे भागीदार**
हस्ताक्षर और मुहर
**ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी**
महासचिव
यू.पी.के.ए .

उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ U.P. KUNG FU ASSOCIATION

2
(श्री राजेन्द्र कु. गौतम)